न्यायालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,लखीमपुर–खीरी।

वाद संख्या– 1604/17

सी0एन0आर0नं0–यू0पी0 एल0पी0–

रामनरेश बनाम दीपा आदि

निस्तारण प्रार्थना–पत्र 156(3)दं0प्र0सं0

पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अं0धारा–156(3) दं0प्र0सं0 इस आशय का दिया गया है कि दिनॉक 26–10–2017 को समय 7.00 बजे शाम को प्रार्थी अपने घर पर था विपक्षीगण, प्रार्थी के घर में घुस आये और मॉ–बहन की गन्दी–गन्दी गालियॉ देते हुए जान से मार डालने की धमकी देने लगे। प्रार्थी ने फोन से 100 डायल किया पुलिस के आने पर मोहल्ले वालों ने जीप में लदवाकर थाने भेजवा दिया फिर भी कोई कार्यवाही नहीं किया। प्रार्थी ने पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थना–पत्र दिया फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र, व , पुलिस अधीक्षक, को दिये गये प्रार्थना–पत्र की प्रति व रजिस्ट्री रसीद, व कार्यालय जिला दहेज प्रति0अधिकारी,लखीमपुर–खीरी प्रकरण दिनांक 11–6–2007 व मु0अ0सं0 1460/2017 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत किया है ।

थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रश्नगत मामले से सम्बन्धित कोई प्रकरण दर्ज नहीं है।

सुना एवं प्रार्थना–पत्र में उल्लिखित तथ्यों का अवलोकन किया गया।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में कहा गया है कि विपक्षीगण, प्रार्थी के घर में घुसकर मॉ–बहन की गन्दी–गन्दी गालियॉ देते हुए जान से मार डालने की धमकी दिया। मामले के समस्त तथ्य प्रार्थी के संज्ञान में है, जिसे प्रार्थी साक्ष्य के माध्यम से स्वयं सिद्ध कर सकता है। **सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए0 सी0 सी0 2007 (59) पेज 739** में दी गयी विधि व्यवस्था के प्रकाश में मामले को परिवाद के रूप में चलाया जाना उचित होगा। प्रार्थना–पत्र परिवाद के रूप में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0 प्र0 संहिता परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। वास्ते बयान धारा 200 दं0प्र0 संहिता दिनांक 13–6–2019 को पेश हो। पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को अन्तरित की जाय।

दि0 27–5–2019

सी.जे.एम.
खीरी।